न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :- 19 / 2013

निर्णय दिनाक:- 4.12.2014

उनवान

1.बसन्तकुमार पुत्र रामदेवा जाति माली निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक
2.अर्जुनलाल पुत्र रामदेवा जाति माली निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक
3.कान्ताबाई पुत्री रामदेवा जाति माली निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक
4.कलावती पुत्री रामदेवा जाति माली निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक
5.धीसीबाई बेवा रामदेवा जाति माली निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक

—वादीगण

बनाम

1राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, टोंक
2.तहसीलदार उनियारा जिला टोंक राजस्थान

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा , दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित:— श्री ओ0 पी0 माहुर वकील वादीगण
पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:—

यह कि वादीगण न0 1 व 2 के पिता रामदेव पुत्र बजरंगा के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी साबिक ख0न0 586 रकबा 2 बिस्वा, 881 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा, 1403 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा , 1562 रकबा 13 बिस्वा 1934 रकबा 5 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 27 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम चोरू तहसील उनियारा मे स्थित है। दौराने सेटलमेन्ट उक्त आराजी के हाल ख0न0 2047 / 0.02, 2581 / 1.45, 1954 / 2.30, 1756 / 0.16, 1324 / 1.26, कुल किता 5 कुल रकबा 5.19 है0 वाके ग्राम चोरू तथा नवीन ग्राम सहीदाबाद बनने से उक्त नम्बरान के नवीन नम्बर 2191 / 0.02 ग्राम चोरू, ख0न0 186 / 1.45 वाके ग्राम सहीदाबाद, ख0न0 2228 / 2.30 वाके ग्राम चोरू, 1788 / 0.16 ग्राम चोरू, 1342 / 1.26 ग्राम चोरू बने है। दौराने सेटलमेन्ट सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने वादीगण के पिता के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी सा0 ख0न0 881 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा के हाल ख0न0 2581 का रकबा 1.45 कर दिया जो पूर्व रकबे से 1.28 है0 कम है। जबकि वर्तमान राजस्व शीट के मुताबिक सा0 शीट हाल हाल ख0न0 2581 का रकबा 2.73 है0 दर्शित है तथा सा0 ख0न0 1403 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा के हाल ख0न0 1954 का रकबा 2.30 है0 कर दिया जो पूर्व रकबे से 0.33 है0 कम है। सेटलमेन्ट कर्मचारियों का उक्त कृत्य बिना किसी आदेश अथवा सक्षम न्यायालय के निर्णय व डिकी के किया गया होने से अवैध व शून्य है, जिसका उन्हे कोई वैधानिक हक व अधिकार नही था।

वादीगण के पिता के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 881 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा का हाल ख0न0 2581 का रकबा नवीन राजस्व शीट मे 2.73 है0 दर्शित है तथा उसी अनुसार वादीगण को मौके पर 2.73 है0 रकबे पर कब्जा काश्त अपने पिता के समय से चला आ रहा है। अतः हाल ख0न0 2581 का जमाबन्दी मे दर्ज रकबा 1.45 है0 के स्थान पर मुताबिक साबिक राजस्व रेकार्ड व हाल नवीन शीट रकबा 2.73 है0 दर्ज किया जाना तथा राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

यह कि वादीगण की अधियाचना हैं कि वाद पत्र बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जावे। यह घोषणा की जावे कि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 2581 हाल ख0न0 186 रकबा 2.73 वाके ग्राम सहीदाबाद तहसीलदार उनियारा के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुरूप

D:\Files\Rajsw\Faisale.docx 618

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक
कोड नं. 6138

Scanned by CamScanner

राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 186 रकबा 2.73 है0 वाके ग्राम सहीदाबाद मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नही करे।

उक्त वाद पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर दावा दर्ज रजिस्टर का प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन मे निम्न दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 2026–2030 प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी सम्वत 2047–2050 प्रदर्श 2, नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 3, नकल जमाबन्दी सम्वत 2041–2060 प्रदर्श 4, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 5, नकल नक्शा ट्रेस बन्दोवस्त 1980 प्रदर्श 6, नकल नक्शा ट्रेस बन्दोबस्त 1942 प्रदर्श 7, नकल जमाबन्दी सम्वत 2045 प्रदर्श 8, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 9, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2068 प्रदर्श 10, नकल जमाबन्दी ग्राम चोरू सम्वत 2067–2070 प्रदर्श 11, नकल मिलान क्षैत्रफल चोरू प्रदर्श 12, नकल नक्शा ट्रेस सहीदाबाद प्रदर्श 13, नकल खसरा गिरदावरी सहीदाबाद सम्वत 2068 प्रदर्श 14, नकल जमाबन्दी सहीदाबाद सम्वत 2067–2070 प्रदर्श 15, नकल मिलान क्षैत्रफल सहीदाबाद प्रदर्श 16 पेश किये है।

वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे पी0डब्लू0 1 बसन्तकुमार वादी स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत प्रस्तुत हुयी। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साबिक शीट व हाल शीट का ओवरलेप करने से यह सिद्व है कि साबिक आराजी ख0न0 881 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा का हाल ख0न0 2581 व नवीन ख0न0 186 का रकबा नवीन राजस्व शीट मे 2.73 है0 जाहिर है। पेरोकार सरकार ने भी अपने जवाब मे अंकित किया है कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का चोरू के साबिका ख0न0 881 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा ग्राम चोरू से हाल ख0न0 2581 रकबा 1.45 है0 बना है तथा ग्राम चोरू मे से सहीदाबाद नवीन राजस्व ग्राम बनने से ख0न0 2581 रकबा 1.45 है0 का ग्राम सहीदाबाद मे नया ख0न0 186 रकबा 1.45 है0 बना है। मुताबिक रिपोर्ट ख0न0 186 का रकबा 1.45 है0 के स्थान पर 2.73 है0 बनता है । मोके पर भी खेत 2.73 है0 का बना हुआ है। इससे यह स्पष्ट हो जाता हैं कि सेटलमेन्ट विभाग ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के वादी के रकबे मे कमी की है। जो राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती योग्य है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुये वादीगण का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वे वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 186 रकबा 1.45 है0 वाके ग्राम सहीदाबाद मे रकबा 1.45 हैक्टर के स्थान पर रकबा 2.73 हैक्टर अंकित कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करे। पर्चा डिक्री जारी हो। फरीकेन खर्च अपना–अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 4.12.2014 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाय गया।

(सुभाषचन्द शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(डिक्री मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

1.बसन्तकुमार पुत्र रामदेवा जाति माली निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक
2.अर्जुनलाल पुत्र रामदेवा जाति माली निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक
3.कान्ताबाई पुत्री रामदेवा जाति माली निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक
4.कलावती पुत्री रामदेवा जाति माली निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक
5.घीसीबाई बेवा रामदेवा जाति माली निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक

—वादीगण

बनाम

1राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, टोंक
2.तहसीलदार उनियारा जिला टोंक राजस्थान

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा , दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :— 19 वर्ष 2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री ओ0पी0माहुर वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई व पेरोकार राज नायब तहसीलदार उनियारा मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वे वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 186 रकबा 1.45 है0 वाके ग्राम सहीदाबाद मे रकबा 1.45 हैक्टर के स्थान पर रकबा 2.73 हैक्टर अंकित कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करे। फरीकेन खर्च अपना-अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 4 माह 12 सन् 2014 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner